

दि. 13/8/25

उत्पीयस अग्रिम 10.14

16/7/25

वकील श्री ..... ने पेश किया।

1015/21-5725

1. वाद अन्तर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रद्धाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. उल्लेखित उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ
8. वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
9. पर्याप्त वाद हेतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी। वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते उवाच दिनांक 18/8/25 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
मनोहरधर (मालावासी)

~~पत्रावली पेश हु। वाद अन्तर मियाद पेश किया है।~~

13/8/25 पत्रावली पेश हु। वाद अन्तर मियाद पेश किया है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते उवाच दिनांक 18/8/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरधर

18/8/25 पत्रावली पेश हु। वाद अन्तर मियाद पेश किया है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते उवाच दिनांक 25/9/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरधर

25/9/25 पत्रावली पेश। अग्रिम वादी उप। पैरोकार स्वरुप उप। उवाच पेश किया प्रतिवादी अग्रिम वादी को दिलाई गई। वदस अग्रिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.10.25 को पेश हो।

पैरोकार

उपस्थित अधिकारी  
मनोहरधर, जिला न्यायाधीश

7/10  
25

पजावली पेडा। लखी उशी सं सरकार  
पेशेकार उपे। उशी-पग उशी सास्य  
के अधार में खरिज गिणित गिपा बारा ही  
बिस्तृत गिणित धुपठ से लिखवापा जाकर  
संलग्न पजावली है। पजावली के लख शुमार  
देकर बाड लखील नम्बर ले उज देकर  
दाखिल दफ्तर हे।

उपखण्ड अधिकारी  
मनोहरथाना, जिला झालावाड

मनोहरथाना, जिला झालावाड

मनोहरथाना, जिला झालावाड

मनोहरथाना, जिला झालावाड

प्रकरण संख्या :- 85/25  
उनवान :- दुलीचन्द बनाम सरकार  
निर्णय दिनांक :- 07.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना  
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:- पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 85/25  
दायर दिनांक :- 16.07.2025  
निर्णय दिनांक:- 07.10.2025  
उनवान :- दुलीचन्द  
बनाम  
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार  
2 श्री जगदीश प्रसाद लववंशी, अधिवक्ता प्रार्थी

:- निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी दुलीचन्द पुत्र बाबरू जाति लोधा निवासी बनेट तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बनेट की खाता संख्या नया 117 (पुराना 102) की खसरा संख्या 1073/384, 1074/438 व 1075/468 कुल किता 03 की 0.8256 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "धुल्या" दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "दुलीचन्द" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम बनेट के उक्त खसरा नंबरों में प्रार्थी का नाम "धुल्या" के स्थान पर "दुलीचन्द" संशोधित


प्रकरण संख्या :- 85/25  
उनवान :- दुलीचन्द बनाम सरकार  
निर्णय दिनांक :-07.10.2025

किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना-पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी नं० 1/सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी नं० 1/सरकार पैरोकार उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया है, जिससे साबित होता हो कि धुल्या व दुलीचन्द एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "धुल्या" दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "दुलीचन्द" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है। उक्त कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि धुल्या व दुलीचन्द एक ही व्यक्ति है। अतः बाद अवलोकन व मनन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर, प्रार्थना-पत्र प्रार्थी खारिज निर्णित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

  
(पुष्कर कुमार मित्तल)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर,  
मनोहरथाना